

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,  
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,  
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उ०प्र०।
3. अध्यक्ष / जिलाधिकारी,  
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ०प्र०।
4. विहित प्राधिकारी,  
समस्त विनियमित क्षेत्र,  
उ०प्र०।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक: 20 अक्टूबर 2022

विषय: प्रदेश के मार्गों के अनुरक्षण/नवीनीकरण/गड़ढामुक्ति के संबंध में।  
महोदय,

कृपया प्रदेश के मार्गों के अनुरक्षण/नवीनीकरण/गड़ढामुक्ति किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 19.10.2022 को आहूत समीक्षा बैठक में निम्नवत निर्देश दिये गये हैं :-

- (1) सभी मार्गों को प्रत्येक दशा में दिनांक 15.11.2022 तक गड़ढामुक्त कर दिया जाए।
- (2) इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जाए कि लक्षित मार्गों के अतिरिक्त कोई सड़क गड़ढामुक्त किये जाने के लिए अवरोध नहीं है।
- (3) लक्ष्य को पुनः चेक कर लिया जाए कि निर्धारित लक्ष्य बिल्कुल सही है तथा इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाना है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त दिये गये निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराते हुए निर्धारित प्रारूप पर सूचना निदेशक, आवास बन्धु को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-संयोजित।

Urgent

PACT

सभी ईई's को पत्र जारी कराकर  
प्रमाण पत्र सहित सूचना जंगल

RK

22.10.22

भवदीय

(लाल धीरेन्द्र राव)  
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक सहित।

प्रतिलिपि निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि समस्त अभिकरणों से समन्वय स्थापित उपरोक्त दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए निर्धारित प्रारूप पर समेकित सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा/से,

(धर्मेन्द्र कुमार पाठक)  
अनु सचिव।

604/से/से  
21-10-22

CE

कि

सचिव

21/10/22

636/CE

22/10/2022